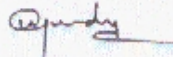


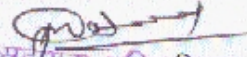
परियोजना का नाम :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरो बैण्ड से घोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी०

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना से सम्बन्धित वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न कर दिये गये हैं।



कनिष्ठा अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)



अभिषेक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)

3/11/17

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Garhwal.

No 1193/8-LAC (2018-19)

Dated May 13, 2019

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.990 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Village Moroband to Dhobighaat Motor Road in Birokhal Block, Distt Pauri Garhwal. Length 5.000 km (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of of Seela Talls - Malla Nawasu, Pokhrsain, Diboli, village (s) in Thalisan tehsils.

It is further certified that:

- (d) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.990 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure II.
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Euc:- As above.

(Dhruv Singh Garhwal)
District Collector, Garhwal
गढ़वाल

FORM-II

55

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Garhwal.

No 1143/8 LAC (2018-2019)

Dated 13-5-2019

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **0.990** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **C.D. PWD Baijro** (name of user agency) for **Village Moroband to Dhobighaat Motor Road in Birokhal Block, Distt Pauri Garhwal. Length 5.000 km** (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of **Seela Talls - Malla Nawasu, Pokhrsain, Diboli, village (s) in Thalisan** tehsils.

It is further certified that:

- (g) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.990** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure II.
- (h) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (i) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of **Seela Talls - Malla Nawasu, Pokhrsain, Diboli, village(s)** is enclosed as annexure III to annexure VIII.
- (j) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (k) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (l) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl :- As above.

(**Dr. Rajendra Singh Garoyal**)
District Collector, Garhwal

5
:: प्रारूप-30.1 ::

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT GARHWAL (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dhiraj singh Garbyal I.A.S deputy commissioner Garhwal on dated 13.5.2019 at time 10:30 AM at Pauri in which application claiming rights in village Moroband to Dhobighaat area measuring 0.990 hect. for the construction of Village Moroband to Dhobighaat Motor Road in Birokhal Block, Distt Pauri Garhwal. Length 5.000 km forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Thalain sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:....Pauri....

Dated:....13.5.2019


Deputy Commissioner Chairman
District Level Committee
नंदवील

परियोजना का नाम :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम मोरोबैण्ड से घोबीघाट तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य लम्बाई 5.00 कि०मी०।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थलीसैण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, थलीसैण

उपखण्ड थलीसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम मोरोबैण्ड से घोबीघाट तक मोटर मार्ग निर्माण के लिये (आरक्षित वन भूमि, 0.000 हे० सिविल वन भूमि, 0.990 हे० वन पंचायत भूमि, 0.000 अर्थात् कुल 0.990 हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील थलीसैण) की दिनांक 17-3-2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सौरभ प्रसाद उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | | |
|----|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------|
| 1- | श्री <u>सौरभ प्रसाद</u> | उपजिलाधिकारी | <u>थलीसैण गढ़वाल</u> | अध्यक्ष |
| 2- | श्री <u>मो० क० शर्मा</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>गढ़वाल</u> | सदस्य |
| 3- | श्री <u>केदार देव</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>थलीसैण</u> | सदस्य/सचिव |
| 4- | श्री <u>सम्पति देवी</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र | <u>थलीसैण</u> | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम मोरोबैण्ड से घोबीघाट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.990 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, थलीसैण द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड थलीसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मोरोबैण्ड से घोबीघाट तक मोटर मार्ग हेतु 0.990 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सम्पति देवी
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
थलीसैण, पौड़ी गढ़वाल

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-थलीसैण
जनपद पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - थलीसैण
जनपद पौड़ी गढ़वाल

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता प्राप्त) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति थलीसैण से प्राप्त जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरोबैण्ड से घोबीघाट मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य (लम्बाई 5.000 कि०मी०) निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.990 है० सिविल भूमि, 0.000 है० सिविल वन पंचायत भूमि, 0.000 है० आरक्षित वनभूमि इस प्रकार कुल वनभूमि 0.990 है० लोक निर्माण विभाग को उप खण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में संक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति प्राप्त की गई है।

सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

(श्री धीराज सिंह गन्धारी) 10/04/2019
जिलाधिकारी
गढ़वाल

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० बैजरो, गढ़वाल

पत्रांक 1193/8-LAC (2018-19)

दिनांक 13/04/2019

- प्रतिलिपि -
- 1- जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
 - 2- प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

(आदर्श गोपाल सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)

दिनांक 13-5-2019 को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति रही :-

1- सर्व श्री धीराज सिंह गर्बाल	जिलाधिकारी गढ़वाल	अध्यक्ष <u>D.S.</u>
2- श्री लक्ष्मण सिंह रावत	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी	सदस्य <u>LS</u>
3- श्री <u>रतन सिंह संभत</u>	जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी	सदस्य <u>RS</u>
4- श्री अनूप सिंह	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य <u>अनूप सिंह</u>

बताया गया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरोबैण्ड से घोबीघाट मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य (लम्बाई 5.000 कि०मी०):- निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है, जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। उक्त मार्गों हेतु उप स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुये निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये हैं। मार्ग का विवरण निम्नवत् है :-

1- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरोबैण्ड से घोबीघाट मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य (लम्बाई 5.000 कि०मी०):- :- यह मोटर मार्ग राज्य योजना के अन्तर्गत बैजरो- जोगीमढी मोटर मार्ग के कि०मी० 7.000 में मोरोबैण्ड से प्रारम्भ होता है एवं 5.000 कि०मी० लम्बाई में सीला तल्ला/मल्ला- नवासू- दिबोली ग्रामों को जोड़ते हुए ग्राम पोखरसैण तक जाता है इस मार्ग के निर्माण से ग्राम सीला तल्ला/मल्ला - नवासू दबोली एवं पोखरसैण के ग्रामीणों को मोटर मार्ग से यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी जो 3 से 5 कि०मी० तक का रास्ता पैदल तय करते हैं उक्त ग्रामों की आबादी क्रमशः 100, 96, 79, 99 एवं 26 है। इस प्रकार इस मोटर मार्ग के निर्माण से कुल 400 जनसंख्या लाभान्वित होगी। जिसमें जनपद गढ़वाल में 1. 100 कि०मी० लम्बाई में सिविल वनभूमि, 0.000 कि०मी० में सिविल वनपंचायत भूमि, 0.000 कि०मी० लम्बाई में आरक्षित वन भूमि एवं 3.900 कि०मी० लम्बाई में नाप भूमि प्रभावित होगी। मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर कोई आदिवासी, जनजाति एवं परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में खण्ड स्तरीय समिति थलीसैण द्वारा अपनी संस्तुति दी गई है। उक्त ग्रामों को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु अन्य विकल्पों पर विचारोपरान्त प्रस्तावित समरेखण ही उपयुक्त पाया गया है।

उप वन सचिव
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

It is further Certified that minutes of meeting of Construction of Village-Moroband to Dhobighat Motor Road in Birokhal Block, District Garhwal. Length 5.000 km regarding F.R.A. is as following:-

Sl. No.		Remarks
(a)	The Complete process of identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 0.990 hectares area proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meeting of the forest rights committee (s), Sub Division level committee (s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no inhabitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have been given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no inhabitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No Objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre agricultural Communities.	Yes copy of records attached as there are no inhabitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

अबुपरिह
जिला पंचायत सदस्य
नाली देवली

सि.सं. कामगार
सदस्य

Member District Board
Pauri Garhwal

District Social Welfare Officer
Pauri Garhwal

Divisional Forest Officer
Pauri Garhwal

अभियंता
Executive Engineer
P.W.D. Division Dairi
बेजरी (गढ़वाल)

Deputy Commissioner
Pauri Garhwal
गढ़वाल

परियोजना का नाम :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरो बैंड से धोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ~~खिला तहसील~~ ग्राम-दिबोली
तहसील थलीसैण जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरो बैंड से धोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी० हेतु (0.000 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.990 हे० सिविल भूमि, 0.000 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.990 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

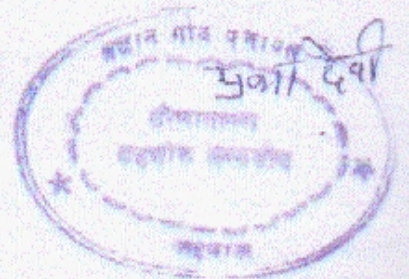
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ~~खिला तहसील~~ ग्राम-दिबोली द्वारा दिनांक 28/12/2018 को सन्मन् ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम-दिबोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरो बैंड से धोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी० हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०
ग्राम सचिव
मुहर सहित

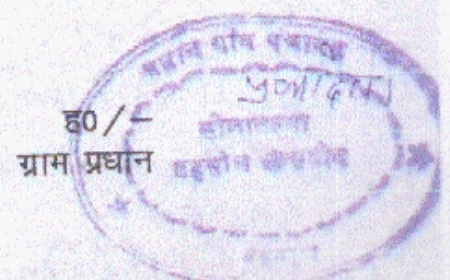
ह०/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



दिनांक १६/१२/१९ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ~~खिला~~ ~~खिला~~ ग्राम - दिवोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सतीश चन्द	सतीश चन्द
2	सेना देवी	सेना देवी
3	शान्ति देवी	शान्ति देवी
4	निमला देवी	निमला देवी
5	मुनी देवी	मुनी देवी
6	सुरभा देवी	सुरभा देवी
7	विजयराज	विजयराज
8	शान्ती देवी	शान्ती देवी
9	मन मोहन	मन मोहन
10	चन्द्र देवी	चन्द्र देवी
11	वसुन्धी देवी	वसुन्धी देवी
12	आशुप्रसाद	आशुप्रसाद
13	बिहारी लाल	बिहारी लाल
14	प्रभा देवी	प्रभा देवी
15	आनन्दा देवी	आनन्दा देवी
16	आनन्दा देवी	आनन्दा देवी
17	आनन्दा देवी	आनन्दा देवी
18	बिहारी लाल	बिहारी लाल



परियोजना का नाम :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरो बैंड से धोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सीला तल्ला
तहसील थलीसैण जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

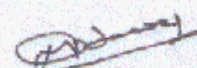
उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरो बैंड से धोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी० हेतु (0.000 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.990 हे० सिविल भूमि, 0.000 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.990 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सीला तल्ला ग्राम- सीला तल्ला द्वारा दिनांक 29/12/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम- सीला तल्ला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरो बैंड से धोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी० हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०
ग्राम सचिव
मुहर सहित


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
जिला पौड़ी गढ़वाल

ह०/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



दिनांक 31/12/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सीला तालुका - सीला तालुका

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	नीलम देवी w/o अदन लखड़ा	नीलम देवी
2	बुश हाटमणी लखड़ा S/o लखड़ा लखड़ा	बुश हाटमणी
3	रमेश चन्द लखड़ा S/o लखड़ा लखड़ा	
4	सरस्वती देवी w/o लखड़ा लखड़ा	
5	कमला देवी w/o लखड़ा लखड़ा	कमला देवी
6	अनिता देवी w/o लखड़ा लखड़ा	अनिता देवी
7	शम्भू प्रसाद S/o लखड़ा लखड़ा	शम्भू प्रसाद
8	शशी देवी लखड़ा S/o लखड़ा लखड़ा	शशी देवी
9	लखड़ा प्रसाद S/o लखड़ा लखड़ा	लखड़ा प्रसाद
10	नरेंद्र प्रसाद S/o लखड़ा लखड़ा	Narender Prasad
11	राजेंद्र कुमार S/o लखड़ा लखड़ा	Rajender Kumar
12	महेश प्रसाद लखड़ा S/o लखड़ा लखड़ा	महेश प्रसाद
13	सीमा लखड़ा w/o लखड़ा लखड़ा	सीमा लखड़ा
14	लखड़ा देवी w/o लखड़ा लखड़ा	लखड़ा देवी
15	देवेन्द्र प्रसाद S/o लखड़ा लखड़ा	देवेन्द्र प्रसाद
16	गोदावरी देवी w/o लखड़ा लखड़ा	गोदावरी देवी
17	शेखी देवी w/o लखड़ा लखड़ा	शेखी देवी
18	अनन्दा देवी लखड़ा S/o लखड़ा लखड़ा	अनन्दा देवी
19	संगीता देवी w/o लखड़ा लखड़ा	संगीता देवी
	प्रवीण कुमार S/o लखड़ा लखड़ा	Praveen Kumar

सहायक अभियन्ता
निर्माण एवं लोक निर्माण

ह0/-
ग्राम प्रधान

प्रजापति
ग्राम पंचायत

परियोजना का नाम :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरो बैन्ड से धोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नामलाहो..... ग्राम-पोखरसैण
तहसील थलीसैण जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरो बैन्ड से धोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी० हेतु (0.000 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.990 हे० सिविल भूमि, 0.000 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.990 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

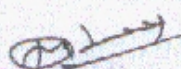
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लाहो..... ग्राम-पोखरसैण द्वारा दिनांक 29.12.2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रतीक एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम-पोखरसैण के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरो बैन्ड से धोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी० हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०

ग्राम सचिव
मुहर सहित


सहायक अभियन्ता
निर्माण खात लोनि०वि०
कैठरी (पौड़ी गढ़वाल)



दिनांक १९/१२/२०१८ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम सभा- लाही ग्राम पंचायत पोखरखेड़ा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	हरीश सिंह - मतपुर सिंह	हरीश सिंह
2	नरेश सिंह - गजराज सिंह रावत	गजराज सिंह
3	चमन सिंह - चमन सिंह	चमन सिंह
4	चमन सिंह रावत - चमन सिंह	Chaman Singh
5	चमन सिंह - २३	D.S. Rawat
6	हर सिंह - २१	हर सिंह
7	शिव सिंह - २२	Shiv Singh
8	गुनवर सिंह - ज्ञान सिंह	ज्ञान सिंह
9	सुरेश सिंह - समर सिंह	Summat Singh
10	महेश सिंह - उदय सिंह	Mahesh Singh
11	राज सिंह - चंद्र सिंह	राज सिंह रावत
12	महेश सिंह - लाल सिंह	महेश सिंह
13	गुनवर सिंह - २४	गुनवर सिंह
14	उमेश सिंह - २५	उमेश सिंह
15	लाल सिंह रावत - धाराम	JP
16	बलराम उमेश - धाराम	जगदीश रावत
17	लाल सिंह - भगवानन्द	जगदीश रावत
18	सनीराम बाईपाल - राम कल प्रताप	बलराम

सहायक अभियन्ता
निर्माण खाण्ड लोनिठि
कैलाश पोस्टी सदर



परियोजना का नाम :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरो बैंड से धोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ~~खिला...~~
तहसील थलीसैण जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरो बैंड से धोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी० हेतु (0.000 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.990 हे० सिविल भूमि, 0.000 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.990 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। 12/

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ~~खिला...~~ ग्राम- नवासू द्वारा दिनांक 28/2/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम- नवासू के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरो बैंड से धोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी० हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०
ग्राम सचिव
मुहर सहित


महापिक आभयन्ता
निर्माण खण्ड सहायक
बैजरो (पौड़ी गढ़वाल)

ह०/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



:: प्रारूप-30.4 ::

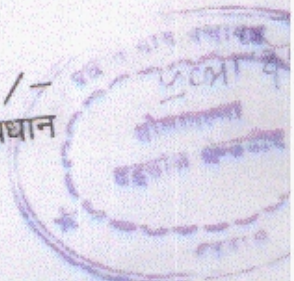
दिनांक 28/12/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खिजा तल्ला ग्राम - न्वास

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री देवी दातराम	श्रीता देवी
2	आरती देवी	आरती देवी
3	श्री भैरव दत्त	भैरव दत्त
4	श्रीमती गुड्डि देवी पति: भैरव दत्त	गुड्डि देवी
5	श्री बच्ची राम	बच्ची राम (रिक्ता)
6	अंजू देवी	अंजू देवी
7	श्री रामेश्वर प्रसाद	रामेश्वर साहू
8	" जीतराम	जीतराम
9	" केदार दत्त	केदार दत्त
10	श्रीमती सुरेशी देवी	सुरेशी देवी
11	" रामशेखरी पति: नारायण प्रसाद	रामेश्वरी देवी
12	मीहन लाल पति: जयराज ठों	Moham
13	कुसुम देवी पति: मीहन लाल	कुसुम देवी
14	श्रीमती गीताफखरी देवी पति: जयराज ठों	गीताफखरी देवी
15	श्रीमती कुसुम देवी पति: जीतराम ठों	कुसुम देवी
16	सन्तोषी श्री धनीराम ठोंडियाल	सन्तोषी
17	श्री शुभा ठोंडियाल	Shubha Thondia
18	श्रीमती सरला देवी पति: केदार दत्त	सरला देवी

सहयोग अमियन्ता
नेमोन खाण्ड लोनिठि
केजरी (पौडी) गजपल

ह0/-
ग्राम प्रधान



श्री. हरेश ठोंडिकर पिता - विद्यालाल
श्रीमति उमावती देवी माता - हरेश ठों.
१॥ विद्या देवी
॥ रमेशचन्द्र C/o लक्ष्मीराम

विश्वराम - S/o Ghananand
दादाशराम
रमेशचन्द्र शर्मा S/o विश्वराम शर्मा

हरेश ठों.
आरती
विश्वराम
रमेशच
विश्वराम
शर्मा

परियोजना का नाम :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरो बैन्द से धोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सीला मल्ला ग्राम - सीला मल्ला
तहसील थलीसैण जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरो बैन्द से धोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी० हेतु (0.000 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.990 हे० सिविल भूमि, 0.000 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.990 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सीला मल्ला ग्राम- सीला मल्ला द्वारा दिनांक 30/12/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

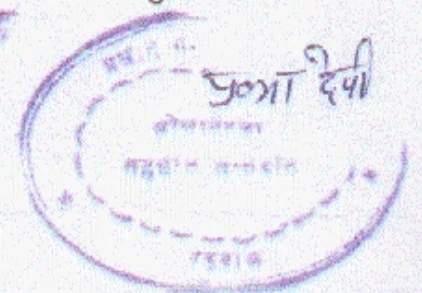
उक्त के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम- सीला मल्ला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरो बैन्द से धोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी० हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०
ग्राम सचिव
मुहर सहित


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोन्गिठि
पौड़ी गढ़वाल

ह०/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



दिनांक २०/१२/२० को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ब्लॉक लखनौ ग्राम - सीला मल्ला

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
इमराम / गिन्दाराम	गिन्दाराम
इन्द्र सिंह, रेवत सिंह	इन्द्र
श्याम सिंह, गोविन्द सिंह	रमेश सिंह
दिलवर सिंह, चन्द्र सिंह	दिलवर सिंह
बचै सिंह, जगत सिंह	बचै सिंह
काशमीरी देवी च चन्द्र सिंह	मेका
मोहनलाल, राजाराम	मोहनलाल
यशवन्त सिंह, गंगा सिंह	गंगा
मिमला देवी, च लोचराम	मिमला
दयानन्द, बुधरीराम	दयानन्द बुधरी
पंकज, दोन दयाल	पंकज
चन्दन सिंह, कलम सिंह	चन्दन
खिलपा देवी, इन्द्र सिंह	खिलपा देवी
खुशाल सिंह, वालम सिंह	खुशाल
ओन्द सिंह, कलम सिंह	ओन्द
सरशवली देवी च जगत राम	सरशवली
सखी देवी, सहानन्द	सखी देवी
राम प्रसाद, रतन मल्ल	राम प्रसाद

सहायक अभियन्ता
निर्माण खाण्ड लोकनिर्माण
बेजरी पीडी मंडल

हो/-
ग्राम प्रधान
पञ्चा देवी